कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री केसर सिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) को डीपीसी वर्ष 2015–16 विषय राजनीति विज्ञान में पदोन्नति उपरान्त कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / सी–6 / राजनीति विज्ञान / डीपीसी 2015–16 / महिला–पुरूष / 15 दिनांक 04.09.2015 द्वारा व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर राउमावि दुन्दाड़ा, लूणी जिला जोधपुर में पदस्थापित किया गया था। पदोन्नत कार्मिक को उक्त पद पर दिनांक 10.09.2015 तक कार्यग्रहण करना था किन्तु तत्समय प्रार्थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर था। प्रार्थी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभाग के समक्ष प्रार्थी को प्रफोर्मा पदोन्नति देने हेतु लिखा गया था किन्तु शासन स्तर से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण प्रार्थी को उक्त पद पर प्रफोर्मा पदोन्नति प्राप्त नहीं हो सकी जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7990 / 2017 दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2018 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को याचिकार्थी को पदोन्नत किये जाने की दिनांक(04.09.2015) से प्रफोर्मा पदोन्नति दिये जाने एवं तत्पश्चात् दिनांक 06.04.2017 से नियमित पदोन्नति के साथ–साथ समस्त परिलाभ दिये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं को पदोन्नति का लाभ डीपीसी वर्ष 2015–16 के अनुसार दिये जाने एवं अपना पदस्थापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर या राउमावि मण्डी, जोधपुर अथवा राउमावि भाण्डुकलां, लूणी जिला जोधपुर में व्याख्याता एवं समकक्ष के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों / नियमों / परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में श्री केसर सिंह राजपुरोहित को डीपीसी वर्ष 2015–16 (विषय–राजनीति विज्ञान) में पदोन्नत किया जाकर राउमावि–राउमावि बापिनी(Bapini), लोहावट जिला जोधपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 29.01.2019 तक कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण सम्बन्धी समस्त सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / सी–6 / राजनीति विज्ञान / याचिका / केसर सिंह / 7490 / 2017 दिनांक 22/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वह पदोन्नत व्याख्याता से दो से अधिक संतान न होने सम्बन्धी शपथ–पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें (01/06/2002 के पश्चात)।
9. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)